



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253023
CG-DL-E-15032024-253023

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 174]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 1)

सं. आर जी-18/(6)/2023-एनएसएल-II.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (iii) तथा (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद् द्वारा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 1) कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे।
- दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (इस के पश्चात "मूल विनियम" कहा जायेगा) के विनियम 2 में खंड (द) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(दक) सिम स्वैप अथवा प्रतिस्थापन" का आशय मौजूदा सब्सक्राइबर द्वारा खोए हुए अथवा निष्क्रिय सिम कार्ड के स्थान पर नए सिम कार्ड की प्राप्ति की प्रक्रिया से है;"।

3. मूल विनियमों के विनियम 6 में प्रथम परंतुक के खंड (ज) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(झ) मोबाइल नंबर के सिम स्वैप अथवा प्रतिस्थापन करने की तारीख से सात दिन की अवधि समाप्त हो गई है।”।

4. मूल विनियमों के विनियम 6क में:-

(क) उप-विनियम (3) में खंड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ज) मोबाइल नंबर के सिम स्वैप अथवा प्रतिस्थापन करने की तारीख से सात दिन की अवधि समाप्ति से पूर्व विशेष पोर्टिंग कोड के लिए अनुरोध किया गया है।”;

(ख) उप-विनियम (6) में, “उप-विनियम (3) के खंड (ख) से (छ)” के शब्दों, कोष्ठकों और संख्या के लिए “उप-विनियम (3) के खंड (ख) से (ज)” शब्दों, कोष्ठकों और संख्या को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-विनियम (8) में “विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (छ)” के शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर, “विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (ज)” शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. मूल विनियमों के विनियम 9 में:-

(क) उप-विनियम (3) में शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं “विनियम 6क के उप-विनियम (3) में अंतर्विष्ट (क) से (छ) शर्तों” के स्थान पर “विनियम 6क के उप-विनियम (3) में अंतर्विष्ट (क) से (ज) शर्तों” शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (4) में “विनियम 6क के उप-विनियम (3) के खंड (ख) से (छ)” के शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर, “विनियम 6क के उप-विनियम (3) के खंड (ख) से (ज)” शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-विनियम (6) में “विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (छ)” शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर, “विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (ज)” शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. मूल विनियमों के विनियम 10 में उप-विनियम (1) में “विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत खंड (क) से (छ)” शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर “विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत खंड (क) से (ज)” शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

वी. रघुनंदन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./828/2023-24]

टिप्पण 1: मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 23 सितंबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 116-4/2009-एमएन (खंड II) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था तथा निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया गया था:

- i. दिनांक 28 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या 116-1/2010 (2010 का 1)
- ii. दिनांक 24 नवंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 116-1/2010 (2010 का 5)
- iii. दिनांक 8 जून 2012 की अधिसूचना संख्या 116-5/2012 (2012 का 16)

- iv. दिनांक 19 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 116-5/2012 (2012 का 19)
 - v. दिनांक 22 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 116-4/2013 (2013 का 9)
 - vi. दिनांक 25 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 116-19/2014 (2015 का 03)
 - vii. दिनांक 13 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 116-6/2017- एनएसएल-II (2018 का 9)
 - viii. दिनांक 30 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 116-4/2019-एनएसएल-II (2019 का 5)
- टिप्पण 2:** व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. 'मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी' वह सुविधा है जो सब्सक्राइबर को देश में एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे एक्सेस प्रदाता के पास जाने पर अपना मोबाइल नंबर बनाए रखने की अनुमति देती है।
 2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके पश्चात, इसे "भादूविप्रा, या "प्राधिकरण" के रूप में भी संदर्भित किया जाएगा) ने देश में अंतरा-सर्कल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के कार्यान्वयन हेतु बुनियादी कारोबार प्रक्रिया की रूपरेखा को विनिर्धारित करते हुए दिनांक 23.09.2009 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किया था। एमएनपी की सुविधा हरियाणा लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में दिनांक 25.11.2010 को प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। दिनांक 20.01.2011 को इसे पूरे देश में विस्तारित किया गया। शुरुआत में, एमएनपी की सुविधा केवल लाइसेंस सेवा क्षेत्र के भीतर ही उपलब्ध थी। तथापि, "एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी" के संबंध में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 03.07.2015 से पूर्ण एमएनपी की सुविधा लागू की गई थी।
 3. समय-समय पर एमएनपी प्रक्रिया में सुधार की दृष्टि से, पूर्व में दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में आठ बार संशोधन किये जा चुके हैं।
 4. दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सुझावों के आधार पर, भादूविप्रा ने मसौदा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023 दिनांक 27.09.2023 (इसके पश्चात, "परामर्श हेतु मसौदा विनियम दिनांक 27.09.2023" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जारी किया ताकि उसमें उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ मांगी जा सकें। हितधारकों से दिनांक 25.10.2023 तक अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। कुछ हितधारकों के अनुरोध पर, टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 08.11.2023 तक बढ़ा दी गई थी। प्राधिकरण को 13 हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। टिप्पणियाँ प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। दिनांक 22.02.2024 को वर्चुअल माध्यम से परामर्श हेतु मसौदा विनियम दिनांक 27.09.2023 पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था।
 5. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम 2009 में नौवें संशोधन को अंतिम रूप दिया है। निम्नलिखित अनुभाग विनियमों में किए गए संशोधनों का स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं।
- क. यूपीसी के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड पेश करने की उपयुक्तता**
6. दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 ("मूल विनियम") का विनियम 6क अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान करता है:

"6क. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड आवंटन से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया -
(1) विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता अपने डाटाबेस से निम्नलिखित शर्तों की जांच करेगा कि क्या:-

(क) मोबाइल नम्बर पहले भी पोर्ट हुआ है और यदि ऐसा है तो क्या पिछली पोर्टिंग से लेकर अब तक नब्बे दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई है;

(ख) इस मोबाइल नम्बर के लिए पोर्टिंग अनुरोध पहले ही प्रक्रियाधीन है; और

(ग) विशेष पोर्टिंग कोड पहले ही जारी किया जा चुका है तथा इसकी अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

(2) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम 1 में उल्लिखित खंड (क) अथवा (ख) अथवा (ग) लागू हैं, तो मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन नहीं करेगा तथा विशेष पोर्टिंग कोड को सृजित नहीं किए जाने के कारण की एसएमएस द्वारा सब्सक्राइबर को जानकारी देगा।

(3) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम 1 में उल्लिखित खंड (क) तथा (ख) और (ग) लागू नहीं हैं, तो वह दाता प्रचालक के डाटाबेस पर रियल टाइम आधार पर तुरंत जांच करेगा कि क्या:-

(क) यह नम्बर कॉरपोरेट मोबाइल नम्बर है;

(ख) लंबित बिल के रूप में पोस्ट-पेड सब्सक्राइबर से बकाया भुगतान देय हो, जिन्हें सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार परंतु विशेष पोर्टिंग कोड के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व जारी किया गया है;

(ग) पोर्टिंग अनुरोध नये कनेक्शनों की एक्टिवेशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व किया गया है;

(घ) मोबाइल नम्बर के स्वामित्व में परिवर्तन के अनुरोध पर कार्रवाई चल रही है;

(ङ) पोर्ट किए जाने के लिए आशियत मोबाइल नंबर पर मामला न्यायालय में चल रहा है;

(च) मोबाइल नंबर की पोर्टिंग न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध की गई है;

(छ) जहां संविदात्मक दायित्व हों, जिनके संबंध में सब्सक्राइबर करार में एक निर्गम खंड का प्रावधान किया गया हो परंतु सब्सक्राइबर ने ऐसे निर्गम खंड का अनुपालन नहीं किया है;

(4) दाता प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसका 'क्रेरी रिस्पांस सिस्टम', मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा यथा अपेक्षित, उपविनियम (3) के तहत रीयल टाइम आधार पर प्रतिक्रिया प्रदान करे।

(5) मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबर के पोर्टिंग अनुरोध को प्राप्तकर्ता प्रचालक से प्राप्ति होने के उपरांत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उप-विनियम (3) के तहत प्राप्त की गई जानकारी का रखरखाव करेगा।

(6) यदि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, यह पाता है कि सब्सक्राइबर का अनुरोध उप-विनियम (3) की खंड (ख) से (छ) में अंतर्विष्ट आधार पर कवर नहीं होता है तो वह सब्सक्राइबर को एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करेगा तथा उसे एसएमएस के माध्यम से सब्सक्राइबर को संप्रेषित करेगा।

परन्तु यह कि कॉरपोरेट मोबाइल नंबर हेतु विशेष पोर्टिंग कोड से पूर्व अक्षर "सी" लगाया जाएगा....”

7. मुख्य विनियमों के विनियम 6क के उप-विनियमन (1) के खंड (क) से (ग), और उप-विनियमन (3) के खंड (ख) से (छ) तक यूपीसी के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए मानदंडों की एक सूची प्रदान करते हैं। इस संबंध में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा को दिनांक 27.09.2022 को लिखे गए अपने पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उल्लेख किया है:

"यह संज्ञान में आया है कि अपराधियों/ धोखेबाजों द्वारा धोखाधड़ी कर के सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन के माध्यम से मोबाइल कनेक्शन धोखाधड़ी से पोर्ट किये जा रहे हैं (कृपया संलग्न निर्देश दिनांक 01.08.2016 का संदर्भ लें)।

2. उपरोक्त के मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि ग्राहक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों में से निम्नलिखित को भी शामिल किया जा सकता है: -

"यदि किसी मोबाइल कनेक्शन में सिम बदलने की प्रक्रिया हुई हो, तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) 10 दिनों के लिए लागू नहीं होगी।"

8. इस पृष्ठभूमि में, परामर्श हेतु मसौदा विनियम दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं :

प्रश्न 1. क्या किसी भी मोबाइल कनेक्शन के संबंध में विशेष पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड पेश करना उचित होगा, जो सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन/ उन्नयन की प्रक्रिया से गुजर चुका है? कृपया इस संबंध में औचित्य सहित विस्तृत प्रतिक्रिया प्रदान करें।

प्रश्न 2. यदि प्रश्न1 के लिए आपका जवाब सकारात्मक है, तो कृपया ऊपर दिए गए मसौदा संशोधन नियमों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

9. प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के जवाब में, अधिकांश हितधारकों ने यह राय दी कि ऐसे मोबाइल कनेक्शनों जो सिम स्वैपिंग/ प्रतिस्थापन की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं उनके लिए विशेष पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड की शुरुआत सब्सक्राइबरों के लिए लाभकारी होगी; इस कदम के परिणामस्वरूप नए ग्राहकों के नाम पर धोखेबाजों द्वारा सिम स्वैपिंग/ प्रतिस्थापन के तुरंत बाद मोबाइल कनेक्शन की पोर्टिंग को रोका जा सकेगा। तथापि, कुछ हितधारकों ने (क) सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन के बाद कितने दिनों तक मोबाइल नंबर को पोर्टिंग के लिए योग्य नहीं माना जाना चाहिए, और (ख) सिम उन्नयन के मामलों में पोर्टिंग प्रतिबंधों की आवश्यकता के संबंध में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए थे। इन पहलुओं का परीक्षण नीचे किया जा रहा है।

(1) सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन के बाद कितने दिनों तक मोबाइल नंबर को पोर्टिंग के लिए पात्र नहीं बनाया जाना चाहिए

10. इस पहलू पर, जबकि कुछ हितधारकों की राय थी कि सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन के बाद 10 दिनों की प्रतीक्षा अवधि उचित है, कुछ अन्य हितधारकों ने तर्क दिया कि 10 दिनों की प्रतीक्षा अवधि से सब्सक्राइबरों को असुविधा हो सकती है, विशेष रूप से अत्यावश्यक पोर्टिंग स्थितियों में, और इसलिए, दो से चार दिनों की छोटी प्रतीक्षा अवधि उचित होगी। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर ध्यान देने के बाद प्राधिकरण का विचार है कि सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन के बाद धोखाधड़ी वाली पोर्टिंग को रोकने के लिए, प्रतीक्षा अवधि न तो इतनी कम होनी चाहिए कि यह धोखाधड़ी वाली पोर्टिंग को रोकने के उद्देश्य को पूरा न कर सके, और न ही यह इतनी लंबी होनी चाहिए कि सब्सक्राइबरों को इससे असुविधा हो। तदनुसार, प्राधिकरण ने पोर्टिंग के लिए पात्र बनने हेतु मोबाइल नंबर के लिए सिम स्वैप अथवा प्रतिस्थापन के बाद सात दिनों की प्रतीक्षा अवधि रखने का निर्णय लिया है।

(2) सिम उन्नयन के मामलों में पोर्टिंग प्रतिबंधों की आवश्यकता

11. कुछ हितधारकों ने यह तर्क दिया कि सिम उन्नयन के मामले में, जहां उपभोक्ता के पास पहले से ही चालू हालत में मूल सिम कार्ड है, सिम स्वैप धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता की पहचान मूल कामकाजी सिम पर वन-टाइम-पासवर्ड (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण के साथ-साथ अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दस्तावेजों के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है; इसलिए, सिम उन्नयन के मामले में एमएनपी प्रतिबंध लागू नहीं होना चाहिए।

12. इस संबंध में, प्राधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि फाइल संख्या 800-09/2010-वीएएस (भाग) दिनांक 07.08.2018 के अधिसूचना के माध्यम से दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने "सिम कार्ड के उन्नयन के मामले में नया

सिम कार्ड जारी करना" विषय पर दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से, दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सिम उन्नयन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी पहले एसएमएस के माध्यम से सिम उन्नयन के लिए ग्राहक की सहमति प्राप्त करेगा; तब अनुज्ञप्तिधारी "सब्सक्राइबर को उसके वर्तमान कार्यशील सिम पर एक आईवीआरएस कॉल करेगा और सिम उन्नयन के उसके अनुरोध के बारे में सूचित करेगा। इसके बाद, अनुज्ञप्तिधारी पहले सब्सक्राइबर से पुष्टि करेगा कि क्या उसने सिम अपग्रेड का अनुरोध किया है और उसके पास नया सिम कार्ड है। यदि सब्सक्राइबर नए सिम कार्ड के अपने पास होने की पुष्टि करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी आगे बढ़ जाएगा अन्यथा पूरी सिम उन्नयन प्रक्रिया को तुरंत रद्द कर देगा।"

13. प्राधिकरण इसे संज्ञान में लेता है कि दिनांक 07.08.2018 के निर्देशों के माध्यम से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दूरसंचार विभाग ने केवल वास्तविक ग्राहकों द्वारा सिम उन्नयन हो सके ऐसा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं। तदनुसार, प्राधिकरण का मानना है कि सिम उन्नयन के मामले में पोर्टिंग प्रतिबंध की कोई आवश्यकता नहीं है।
14. उपरोक्त विन्दुओं पर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने इन संशोधन विनियमों के माध्यम से यूपीसी के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से यदि यूपीसी के लिए अनुरोध, मोबाइल नंबर के सिम स्वैप अथवा प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले किया गया है तो उस स्थिति में यूपीसी आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।
15. इन संशोधन विनियमों के माध्यम से पेश किए गए यूपीसी के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए अतिरिक्त मानदंड को लागू करने के लिए, एक्सेस प्रदाताओं और एमएनपी सेवा प्रदाताओं की दूरसंचार प्रणालियों और प्रक्रियाओं में संशोधन करना होगा, तत्पश्चात् अखिल भारत स्तर पर इसे कार्यान्वित करने से पहले परिदृश्यों का परीक्षण किया जाएगा। तदनुसार, प्राधिकरण ने इन संशोधन नियमों के कार्यान्वयन की तिथि 01.07.2024 रखने का निर्णय लिया है।

ख. मोबाइल नंबर को पोर्ट करने की अनुमति देने से पहले ग्राहक के जनसांख्यिकीय विवरण के मिलान की उपयुक्तता।

16. डीओटी ने दिनांक 24.07.2023 को एक पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से अनुरोध किया कि "धोखाधड़ी वाली पोर्टिंग की रोकथाम के लिए मौजूदा एमएनपी प्रक्रिया में शामिल करने हेतु निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है:-

- i. यूपीसी कोड जनरेट होने के बाद उचित चरण में सब्सक्राइबर का जनसांख्यिकीय विवरण (जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि और फोटो इत्यादि) या ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ)/ डिजिटल सीएएफ की स्कैन की गई प्रति दाता प्रचालक से प्राप्तकर्ता प्रचालक को हस्तांतरित की जा सकती है। समय की देरी से बचने के लिए, ऐसे स्थानांतरण अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने चाहिए।
- ii. प्राप्तकर्ता प्रचालक को सब्सक्राइबर के जनसांख्यिकीय विवरण का दाता प्रचालक से प्राप्त विवरण से मिलान करना चाहिए। यदि सब्सक्राइबरों का जनसांख्यिकीय विवरण मेल खाता है, तो ही एमएनपी प्रक्रिया में आगे के चरणों की अनुमति दी जा सकती है अन्यथा पोर्टिंग प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है।"

17. इस संबंध में, प्राधिकरण ने 'परामर्श हेतु मसौदा विनियम दिनांक 27.09.2023' के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्न पर हितधारकों से विचार मांगे थे:

"प्रश्न 3. हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव पर औचित्य के साथ विस्तृत जानकारी प्रदान करें -

- (क) यूपीसी कोड जनरेट होने के बाद उचित चरण में सब्सक्राइबर का जनसांख्यिकीय विवरण (जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि और फोटो इत्यादि) या ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ)/ डिजिटल सीएएफ की स्कैन की

गई प्रति दाता प्रचालक से प्राप्तकर्ता प्रचालक को हस्तांतरित की जा सकती है। समय की देरी से बचने के लिए, ऐसे स्थानांतरण अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने चाहिए; तथा

(ख) प्राप्तकर्ता प्रचालक को सब्सक्राइबर के जनसांख्यिकीय विवरण का दाता प्रचालक से प्राप्त विवरण से मिलान करना चाहिए। यदि सब्सक्राइबरों का जनसांख्यिकीय विवरण मेल खाता है, तो केवल एमएनपी प्रक्रिया में आगे के चरणों की अनुमति दी जा सकती है अन्यथा पोर्टिंग प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है।”

18. प्रश्न 3 के जवाब में, अधिकांश हितधारकों ने सुझाव दिया है कि पोर्टिंग प्रक्रिया से पहले सब्सक्राइबरों के जनसांख्यिकीय विवरण का मशीन आधारित सत्यापन किया जाना चाहिए। भादूविप्रा में फिलहाल इस पहलू पर विस्तार से परीक्षण किया जा रहा है और इसे अलग से निपटाया जाएगा।

ग. विविध मुद्दे

19. प्राधिकरण ने 'परामर्श हेतु मसौदा विनियम दिनांक 27.09.2023' के माध्यम से हितधारकों से मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग की प्रक्रिया में सुधार हेतु किसी अन्य मुद्दे पर सुझाव/ टिप्पणियाँ प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में, पोर्टिंग से संबंधित कई मामलों को प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है। हितधारकों की इन चिन्ताओं पर प्राधिकरण द्वारा ध्यान दिया गया है और इनका विधिवत् परीक्षण किया जाएगा।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

TELECOMMUNICATION MOBILE NUMBER PORTABILITY

(NINTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2024 (1 of 2024)

No. RG-18/(6)/2023-NSL-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36, read with sub-clauses (i), (iii) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability (Ninth Amendment) Regulations, 2024 (1 of 2024).

(2) These regulations shall come into force from the 1st July, 2024.

2. In regulation 2 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) (hereinafter referred to as “principal regulations”), after clause (r), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ra) “SIM swap or replacement” means a process of acquisition of a new SIM card in place of a lost or non-working SIM card by the existing subscriber;”.

3. In regulation 6 of the principal regulations, after para (h) of the first proviso, the following para shall be inserted, namely:-

“(i) a period of seven days has expired from the date of SIM swap or replacement of the mobile number.”.

4. In regulation 6A of the principal regulations:-

(a) in sub-regulation (3), after clause (g) the following clause shall be inserted, namely:-

“(h) the request for unique porting code has been made before the expiry of seven days from the date of SIM swap or replacement of the mobile number.”;

(b) in sub-regulation (6), for the words, brackets and number “clauses (b) to (g) of sub-regulation (3)” the words, brackets and number, “clauses (b) to (h) of sub-regulation (3)” shall be substituted;

(c) in sub-regulation (8), for the words, brackets and numbers, “clauses (b) to (g), provided under sub-regulation (3) of regulation 6A” the words, brackets and numbers, “clauses (b) to (h) of sub-regulation (3)” shall be substituted.

5. In regulation 9 of the principal regulations:-

(a) in sub-regulation (3), for the words, brackets and numbers, “conditions (a) to (g) contained in sub-regulation (3) of regulation 6A” the words, brackets and numbers, “conditions contained under clauses (a) to (h) of sub-regulation (3) of regulation 6A” shall be substituted;

(b) in sub-regulation (4), for the words, brackets and numbers, “in clauses (b) to (g) of sub-regulation (3) of regulation 6A” the words, brackets and numbers, “under clauses (b) to (h) of sub-regulation (3) of regulation 6A” shall be substituted;

(c) in sub-regulation (6), for the words, brackets and numbers, “in clause (b) to (g) of sub-regulation (3) of regulation 6A” the words, brackets and numbers, “under clauses (b) to (h) of sub-regulation (3) of regulation 6A” shall be substituted.

6. In regulation 10 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for the words, brackets and numbers, “clauses (a) to (g) under sub-regulation (3) of regulation 6A” the words, brackets and numbers, “clauses (a) to (h) of sub-regulation (3) of regulation 6A” shall be substituted.

V. RAGHUNANDAN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./828/2023-24]

Note 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, part III, section 4 vide notification No. 116-4/2009-MN (Vol. II) dated 23rd September 2009 and amended vide:

- (i) Notification No. 116-1/2010 dated 28th January, 2010 (1 of 2010)
- (ii) Notification No. 116-1/2010 dated 24th November, 2010 (5 of 2010)
- (iii) Notification No. 116-5/2012 dated 8th June, 2012 (16 of 2012)
- (iv) Notification No. 116-5/2012 dated 19th September, 2012 (19 of 2012)
- (v) Notification No. 116-4/2013 dated 22nd July, 2013 (9 of 2013)
- (vi) Notification No. 116-19/2014 dated 25th February, 2015 (03 of 2015)
- (vii) Notification No. 116-6/2017-NSL-II dated 13th December, 2018 (9 of 2018)
- (viii) Notification No. 116-4/2019-NSL-II dated 30th September, 2019 (5 of 2019)

Note 2: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of these regulations.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. ‘Mobile Number Portability’ is the facility which allows a subscriber to retain his mobile number when he moves from one access provider to another access provider in the country.
2. The Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter, also referred to as, “TRAI, or “the Authority”) issued the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) dated 23.09.2009 laying down the basic business process framework for implementation of intra-circle Mobile Number Portability (MNP) in the country. MNP facility was launched in Haryana licensed service area (LSA) on 25.11.2010 on pilot basis. On 20.01.2011, it was extended to the entire country. Initially, the MNP facility was available within the licensed service area only. However, in accordance with the provisions contained in the National Telecom Policy-2012 regarding “One Nation-Full Mobile Number Portability”, full MNP facility was implemented w.e.f. 03.07.2015.
3. With a view to improving the MNP process from time to time, the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 have been amended eight times in the past.
4. Based on the suggestions received from the Department of Telecommunications (DoT), Ministry of Communications, Government of India, TRAI issued Draft Telecommunication Mobile Number Portability (Ninth Amendment) Regulations, 2023 dated 27.09.2023 (hereinafter, referred to as “the draft amendment regulations dated 27.09.2023 for consultation”), soliciting comments from stakeholders on the issues raised therein. Stakeholders were requested to furnish their comments by 25.10.2023. On request of a few stakeholders, the last date for furnishing comments was extended to 08.11.2023. The Authority received comments from 13 stakeholders. The comments are available on the Authority’s website www.trai.gov.in. An open house discussion (OHD) on the draft amendment regulations dated 27.09.2023 for consultation was conducted on 22.02.2024, through virtual mode.
5. Based on the inputs received from stakeholders and its own analysis, the Authority has finalized the ninth amendment to the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009. The following sections provide an explanation of the amendments made in the regulations.
 - A. Suitability of introducing an additional criterion for rejection of the request for allocation of UPC**
6. The regulation 6A of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (“principal regulations”) provides, *inter-alia*, as below:

“6A. Process to be performed by Mobile Number Portability Service provider before allocating unique porting code.—

(1) Upon receipt of the request for unique porting code, the concerned Mobile Number Portability Service provider shall check the following conditions from its database whether:-

- (a) the mobile number has been ported earlier and, if so, a period of ninety days has not elapsed from the date of its last porting;
- (b) porting request is already in process for the same mobile number; and
- (c) unique porting code has already been issued and not expired yet.

(2) Where Mobile Number Portability Service provider finds that the clause (a) or (b) or (c) mentioned in sub-regulation (1) are applicable, the Mobile Number Portability Service provider shall not generate unique porting code and shall communicate the reason of non-generation of unique porting code to the subscriber through SMS.

(3) Where Mobile Number Portability Service provider finds that the clause (a) and (b) and (c) mentioned in sub-regulation (1) are not applicable, it shall check immediately on real time basis from the database of Donor Operator whether:-

- (a) the number is a Corporate mobile number;
- (b) there are outstanding payments due from the post paid subscriber by way of pending bill, issued as per the normal billing cycle but before the date of request for unique porting code;
- (c) the porting request has been made before the expiry of a period of ninety days from the date of activation of a new connection;
- (d) a request for change of ownership of mobile number is under process;
- (e) the mobile number sought to be ported is sub-judice;
- (f) porting of the mobile number has been prohibited by a court of law;
- (g) there are subsisting contractual obligations in respect of which an exit clause has been provided in the subscriber agreement but the subscriber has not complied with such exit clause;

(4) The Donor Operator shall ensure that its query response mechanism provides the response, as sought by the Mobile Number Portability Service provider under sub-regulation (3) on real time basis.

(5) The Mobile Number Portability Service provider shall retain the information obtained by it under sub-regulation (3) for taking necessary action, on receipt of the porting request of the subscriber, from Recipient Operator.

(6) If the Mobile Number Portability Service provider finds that the request of the subscriber is not covered under the grounds contained in the clauses (b) to (g) of sub-regulation (3), it shall allocate unique porting code to the subscriber and communicate the same to the subscriber through SMS:

Provided that the unique porting code shall be prefixed by ‘C’ for corporate mobile number. ...”

7. The clauses (a) to (c) of sub-regulation (1), and clauses (b) to (g) of sub-regulation (3) of regulation 6A of the principal regulations provide a list of criteria for rejection of the request for allocation of UPC. In this regard, DoT, through its letter dated 27.09.2022 to TRAI, mentioned, *inter-alia*, as below:

“It has come to the notice that mobile connections are being fraudulently ported out by the criminals/ fraudsters by way of fraudulent SIM Swaps/ replacement (instructions dated 01.08.2016 as enclosed may kindly be referred).

2. In view of above, it is requested that following may also be incorporated as one of the reason for rejection of a porting request by a customer:-

“If a mobile connection has undergone the process of SIM swapping/ replacement, then Mobile Number Portability (MNP) shall not be applicable for 10 days.”

8. In this background, through the draft amendment regulations dated 27.09.2023 for consultation, the Authority solicited comments from stakeholders on the following questions:

Q1. Whether it would be appropriate to introduce an additional criterion for rejection of the request for allocation of Unique Porting Code (UPC) in respect of any mobile connection, which has undergone the process of SIM swap/ replacement/ upgradation? Kindly provide a detailed response with justification.

Q2. If your response to the Q1 is in the affirmative, kindly provide detailed inputs on the draft amendment regulations given above.

9. In response to the Q1 and Q2, most of the stakeholders opined that introduction of an additional criterion for rejection of the request for allocation of UPC for the mobile connection, which has undergone the process of SIM swapping/ replacement, would be beneficial to the subscribers; this step would result in preventing porting of mobile connections soon after SIM swapping/ replacement, by fraudsters in the name of new subscribers. However, a few stakeholders expressed divergent views with respect to (a) the number of days for which a mobile number should not be made eligible for porting after SIM swap/ replacement, and (b) the need for porting restrictions in cases of SIM upgradation. These aspects are being examined below.

(1) The number of days for which a mobile number should not be made eligible for porting after SIM swap/ replacement

10. On this aspect, while a few stakeholders opined that a wait period of 10-days after SIM swap/ replacement is appropriate, some other stakeholders contended that a wait period of 10-days may inconvenience subscribers, especially in urgent porting situations, and therefore, a shorter wait period such as two-to-four days would be reasonable. The Authority has taken note of the stakeholders' comments and is of the view that to prevent fraudulent porting after SIM swap/ replacement, the wait period should neither be too small that it falls short of the objective of curbing fraudulent porting, nor it should be too long to inconvenience the subscribers. Accordingly, the Authority has decided to keep a waiting period of seven days after the SIM swap or replacement for a mobile number to become eligible for porting.

(2) Need for porting restrictions in cases of SIM upgradation

11. A few stakeholders contended that in the case of SIM upgradation, where consumer is already in possession of original SIM card in working condition, there is no case for SIM swap fraud, as the consumer's identity can be ensured through know your customer (KYC) documents along with the one-time-password (OTP) based authentication on the original working SIM; therefore, MNP restrictions should not be applicable in case of SIM upgradation.
12. In this regard, the Authority has taken note of the fact that through the instructions issued through notification No. 800-09/2010-VAS (part) dated 07.08.2018, DoT has laid down guidelines on the subject-“Issuance of new SIM card in case of upgradation of SIM cards”. Through these guidelines, DoT has mandated that upon receiving the request for SIM upgradation, every licensee will first seek consent of the subscriber for SIM upgradation through SMS; then the licensee “shall make an IVRS Call to the subscriber on his/her current working SIM and intimate about his/her request of SIM up-gradation. Thereafter, the Licensee shall first seek confirmation from the subscriber whether he/she has raised the request of SIM upgrade and he/she has the new SIM card under his/her possession. If the subscriber confirms the possession of new SIM card, then the Licensee shall proceed further else cancel the entire SIM upgrade process immediately.”
13. The Authority notes that through the instructions dated 07.08.2018, as mentioned above, DoT has laid down sufficient safeguards for ensuring SIM upgradation by only genuine customers. Accordingly, the Authority is of the view that there is no need for porting restrictions in case of SIM upgradation.
14. Keeping in view the foregoing discussion, the Authority has decided to introduce an additional criterion for rejection of the request for allocation of UPC through these amendment regulations. Specifically, the UPC should not be allocated if the request for UPC has been made before the expiry of seven days from the date of SIM swap or replacement of the mobile number.
15. For implementing the additional criterion for rejection of the request for allocation of UPC introduced through these amendment regulations, modifications would have to be carried out in the telecommunication systems and processes of access providers and MNP service providers, which will be followed by testing of the scenarios before the pan-India implementation. Accordingly, the Authority has decided to keep the date of implementation of these amendment regulations as 01.07.2024.

B. Suitability of matching demographic details of the subscriber before permitting porting of a mobile number

16. DoT, through a letter dated 24.07.2023, requested TRAI that “following suggestions may be considered for incorporating in the extant MNP process for prevention of fraudulent porting:-

“i. After the generation of the UPC code, at the appropriate stage, the demographic details of the subscriber (such as Name, Gender, Date of Birth and Photograph, etc.) or scanned copy of Customer Application Form (CAF)/ digital CAF may be transferred from Donor Operator to Recipient Operator. In order to avoid time delays, such transfers may preferably be done through electronic means.

- ii. *The Recipient Operator should match the demographic details of the subscriber with those details received from Donor Operator. If the subscribers demographic details matches, then only further steps in MNP process may be allowed otherwise the porting process may be terminated.*”
17. In this regard, through the draft amendment regulations dated 27.09.2023 for consultation, the Authority solicited views of stakeholders on the following question:
- “Q3. Stakeholders are requested to provide detailed inputs with justification on the DoT’s proposal that –
- (a) *after the generation of UPC code, at an appropriate stage, the demographic details of the subscriber such as Name, Gender, Date of Birth and Photograph, etc., or scanned copy of Customer Application Form (CAF)/ Digital CAF may be transferred from Donor Operator to Recipient Operator. To avoid time delays, such transfers may preferably be done through electronic means; and*
- (b) *the recipient operator should match the demographic details of the subscriber with those details received from Donor Operator. If the subscriber’s demographic details match, then only further steps in MNP process may be allowed otherwise, the porting process may be terminated.*”
18. In response to the Q3, most of the stakeholders have suggested that a machine based validation of demographic details of subscribers should be carried out before the porting process. At present, this aspect is being examined in detail in TRAI and it will be dealt with separately.
- C. Miscellaneous Issues**
19. The Authority through the draft amendment regulations dated 27.09.2023 for consultation, requested stakeholders to provide suggestions/ comments on any other issues for improving the process of porting of mobile numbers. In response, several concerns related to porting have been brought to the attention of the Authority. The Authority has taken note of the stakeholders’ concerns, which will be duly examined.